न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 64 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. रामरतन कुमावत पुत्र चुन्नीलाल कुमावत जाति कुमावत निवासी धोलासरी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

<u>दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती</u>

उपस्थिति—

1. श्री बन्शीधर बाज्या वकील वादी की ओर सें।

<u>नि र्ण य</u> **दिनांक — 27.10.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 101, 391 लगायत 395, 644, 645, 645 / 849, 646, 647, 683, 409 लगायत 411 वाके ग्राम धोलासरी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार हैं। वादी के जन्म के पश्चात बाल्यावस्था में वादी को घर में प्यार से माता पिता व दादा दादी व अन्य परिवारजन द्वारा लालू के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था तथा बाल्यावस्था में घर में लालू के नाम से पुकारने के कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लालू दर्ज करवा दिया गया। जबकि लालू व रामरतन कुमावत दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। वादी के अन्य सरकारी कार्ड परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक पास बुक भामाशाह कार्ड में वादी का नाम रामरतन कुमावत बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। ग्राम पंचायत धोलासरी द्वारा जारी राशन कार्ड में भी इस कथन की पुष्टी की गयी है कि लालू व रामरतन दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लालू दर्ज है जो कि उपरोक्त वजह से सहवन से दर्ज चला आ रहा है जबकि अन्य समस्त दस्तावेजात व रिकार्ड में वादी का नाम रामरतन दर्ज

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज में भिन्न होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि को विकासित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रामरतन कुमावत दर्ज करवाने की उदघोषणा की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद कारण आज से करीब 7–8 रोज पूर्व वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक से किसान केडिड कार्ड से ऋण लेने की कार्यवही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती होने के पश्चात ही किसान केडिड कार्ड से ऋण देने एवं रिकार्ड में दुरूस्ती करवाये बिना किसान किडिड कार्ड से ऋण नहीं मिलने के कारण उत्पन्न हुआ है जो कि वादकारण क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 101, 391 लगायत 395, 644, 645, 645/849, 646, 647, 683, 409 लगायत 411 वाके ग्राम धोलासरी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम लालु पुत्र चुना के स्थान पर सही व वास्तिविक नाम लालू उर्फ रामरतन कुमावत पुत्र चुन्नीलाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का नाम लालु पुत्र चुना के स्थान पर सही व वास्तिविक नाम लालू उर्फ रामरतन कुमावत पुत्र चुन्नीलाल उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि प्रार्थी का नाम लालू पुत्र चूनाराम दर्ज है जो विरासत के नामा0 170 दिनांक 13.02.1980 के द्वारा दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थी के आईडी पहचान पत्र आधार कार्ड पैनकार्ड राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

रामरतन पुत्र चुनाराम दर्ज है। प्रार्थी का नाम रामरतन पुत्र चुनाराम किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 101, 391 लगायत 395, 644, 645, 645/849, 646, 647, 683, 409 लगायत 411 वाके ग्राम धोलासरी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का नाम लालू पुत्र चुना के स्थान पर लालू उर्फ रामरतन पुत्र चुन्नीलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रामरतन कुमावत बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक. 27.10.2020

मुकदमा नं0 64 / दावा सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री बन्शीधर बाज्या** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 101, 391 लगायत 395, 644, 645, 645/849, 646, 647, 683, 409 लगायत 411 वाके ग्राम धोलासरी पटवार हल्का धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम लालू पुत्र चूना को दुरूस्त कर उसके स्थान पर लालू उर्फ रामरतन पुत्र चून्नीलाल संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.10.2020 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मोहर

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	--	--	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	--	--	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	--	--	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	--	--	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	--	--	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ